तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 01/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण जाति राजपूत निवासी 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे. एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.11.18 में उसके द्वारा (1) गांव झंवर तहसील लूणी के खसरा नम्बरान 1896, 1998, 1314, 1317, 1313, 1312, 1763, 472, 474, 1801, 1802, 1803 उपरोक्त खसरा नम्बर पर अतिक्रमण कर्मीयों की सूची व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी व उप तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी व उप तहसीलदार झंवर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि उप तहसीलदार झंवर ने अपने पत्रांक 384 दिनांक 17.12.18 के द्वारा सभी बिन्दुओं की गलत जानकारी प्रदान की है। अप्रार्थी कार्यालय से जारी अपील संख्या 188/17 के सन्दर्भ में प्रार्थी को पत्रांक 05 दिनांक 04.01.18 जारी किया गया उसमें खसरा नम्बर 1317 के अतिक्रमियों की सूची है अतः इससे स्पष्ट है कि उप तहसीलदार झंवर द्वारा जान बूझकर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रदान नहीं की है। बिन्दु संख्या–2 से संबंधित सूचना के बारे में अपील में बतलाया कि उप तहसीलदार झंवर द्वारा पूर्व में सूचना देने के कारण दूसरी बार सूचना नहीं दी गई, दूबारा सूचना मांगने की मनाई कहीं नहीं है। लोक सूचना अधिकारी (उप तहसलदार झंवर) द्वारा बिन्दु संख्या 2 व 3 से संबंधित सूचना के लिए प्रार्थी को जरिये पत्रांक 384 दिनांक 17.12.18 सूचित किया गया, उससे हम सहमत नहीं है अतः अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी व उप तहसीलदार झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	